

रामनाथ वनाथ कंशीकर

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्राथमिक अस्थाई निषेध क्र. 1/2018

12.08.2025

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
वकील प्रार्थी सम्मन तलबाना पेश करने हेतु अवसर चाहते हैं।
वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तलबी बाबत सम्मन तलबाना पेश
करने हेतु पूर्व में 30 अवसर दिये जा चुके हैं परन्तु वकील प्रार्थी ने
बावजूद अवसरों के व हिदायत के सम्मन तलबाना पेश नहीं किया
है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को नॉन कम्पलाईन्स (Non
Compliance) में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार
होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हों।

34

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमहापुर (सीकर)
श्रीमहापुर (सीकर)

